



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
 क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/
 Sub-Office, Shimla of Regional Office, Chandigarh
 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉंगवुड
 CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
 शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
 Shimla, Himachal Pradesh – 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
 दूरभाष/Tel.0177-2658285,
 फैक्स/Fax: 0177-2657517



पत्र संख्या. एफ.सी./एच.पी.सी./04/34/2022

दिनांक: .08.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
 हिमाचल प्रदेश सरकार
 आम्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
 (Email:-forestsecy-hp@nic.in)

विषय:- Diversion of 35.1655 ha of forest land in favour of HPSEB, for the construction of SoP to AIIMS Kothipura, within the jurisdiction of Bilaspur & Suket Forest Divisions, Distt. Bilaspur & Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/TRANS/148191/2021)

**Ref: (i) Online Proposal No. FP/HP/TRANS/148191/2021 received on 29.03.2022
 (ii) Mom of 59th Rec of RO Chandigarh dated 25.07.2023**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 35.1655 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।
- iii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, **35.1655** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- iv. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- v. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।

- vi.** प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को **Stage-I clearance** के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- vii.** प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए **Stage-I** पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, **Stage-I** अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "**इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है**" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
- viii.** FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।
- ix.** वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे।
- (B)** वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-
- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यदि muck dumping site प्रस्ताव में सम्मिलित है, तो वहा का कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा।
 - राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 13 हे० DPF Chamyoun, Sadar Forest Range, 10 हे० Compartment No. UPF Bassi (Bassi block) Patch No.2, Naina Devi ji Forest Range, 5 हे० Compartment No. UPF Beriwali (Saloa Block) Patch No-3, Naina Devi ji Forest Range, 5 हे० UPF Bhatar ((Saloa Block) Patch No-4, Naina Devi ji Forest Range, 10 हे० UPF Chamarda (Bharka Blcok) Patch No-5, Naina Devi ji Forest Range, 10 हे० UPF Dabat (Bassi Block) Patch No-6, Naina Devi ji Forest Range, 12 हे० UPF Dhara (Swahan Block) Patch No-7, Naina Devi ji Forest Range, 5 हे० UPF Dadoh (Kot Block) Patch No-8, Naina Devi ji Forest Range, Bilaspur Forest Divsion, Distt. Bilaspur, पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
 - प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज तथा IFA 1927 के अंतर्गत अधिसूचित, अन्यथा Proposed PF की प्रति प्रस्तुत करें। अन्यथा, CA land को विधिवत स्वीकृति से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित किया जाए एवं नियमानुसार IFA, 1927 के अंतर्गत PF अधिसूचित किया जाए और उससे संबंधित दस्तावेज पेश किये जाए।
 - वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे।
 - राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।
 - वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
 - माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

- x. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- 1/50383/2023 xi. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा|
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी |
- xiii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा |
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |
- xv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |
- xvi. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए " रास्ते के अधिकार " की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 27 मीटर होगी |
- xvii. कंडक्टर तथा पेंडो के बीच का फासला कम से कम 4.0 मीटर होना चाहिए | कंडक्टर के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेंडो की काट छांट का कार्य स्थानायी वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा |
- xviii. पर्योक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सिर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |
- xix. प्रयोक्ता अभिकरण अपनी लागत पर बर्ड फ्लाइट डायवर्टर लगाएगा, जिन्हे पक्षियों को आघात होने से बचने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के उपपर कंडक्टर पर उपयुक्त दूरी पर लगाया जायेगा |
- xx. राज्य वन विभाग के परामर्श से पर्योक्ता अभिकरण ट्रांसमिशन लाइन के RoW के नीचे बौनी प्रजातियाँ (अधिमानतः औषधीय पौधें) की सृजन एवं रखरखाव के लिए योजना तैयार करेगा तथा इसका निष्पादन वन विभाग द्वारा किया जायेगा |
- xxi. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |
- xxii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |
- xxiii. मक निस्तारण जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
- xxiv. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी |
- xxv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है |
- xxvi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |
- xxvii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी |
3. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा | **केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा |**

भवदीय,

Sd/-
(डॉ गोबिंद सागर भारद्वाज)
उप- वन महानिदेशक(के.)

प्रतिलिपि:-

- 1/50383/2023
1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।(ramesh.pandey@nic.in)।
 2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: rohq-mefcc@gov.in).
 3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टार्लैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
 4. वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता, ईएस डिवीजन, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश (E-mail: xenesblp@gmail.com)